

परिपत्र संख्या 14/2025

फा. सं. 225/131/2025/आईटीए-II

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितंबर 2025

विषय: - लेखापरीक्षा योग्य निर्धारितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (सुसंगत निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए विभिन्न संपरीक्षा के प्रतिवेदनों को दाखिल करने की समय-सीमा में विस्तार - के संबंध में।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 (सुसंगत निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत संपरीक्षा के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने हेतु 'निर्दिष्ट तारीख' को 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दिया है।

(डॉ. इंदु बाला)
उप-सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/ राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव।
2. राजस्व सचिव के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) एवं सीबीडीटी के सभी सदस्य।
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक।
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी।
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव।
7. वेब प्रबंधक को, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश देने के अनुरोध सहित।
8. आयकर आयुक्त (एम एंड टीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता को, व्यापक प्रचार-प्रसार के अनुरोध सहित।
9. संयुक्त आयकर आयुक्त को, डाटा बेस प्रकोष्ठ, irsofficersonline.gov.in पर इसे डालने के अनुरोध सहित।
10. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. सभी वाणिज्य मंडल।
12. गार्ड फ़ाइल।

(डॉ. इंदु बाला)
उप-सचिव, भारत सरकार